



Regional Office
Rajasthan State Pollution Control Board
Shyam Prasad Mukhergi Nagar, Bharatpur
Email-id : rorpcb.bharatpur@gmail.com,

No. RPCB/RO/Bharatpur / 961

Date : 20.11.2020

The Registrar,
Hon'ble National Green Tribunal
Central Zonal Branch
Bhopal

Sub:- OA No. 09/2020 (CZ) Dinanath Tiwari v/s PCCF Rajasthan & others
Ref:- Hon'ble NGT order dt 13.07.2020

Sir,

With reference to above subject, Kindly find enclosed Joint Inspection report for
Necessary action please.

Encl:- As above

Yours Sincerely

(O.P. Gupta)
20.11.2020
Regional Officer
RSPCB, Alwar

संयुक्त जॉच प्रतिवेदन

माननीय न्यायालय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा ओरिजनल एप्लीकेशन संख्या 09/2020 (सीजैड) दीनानाथ तिवारी बनाम प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर एवं अन्य में माननीय राष्ट्रीय प्राधिकरण, नई दिल्ली प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 13.07.2020 के द्वारा संयुक्त जॉच दल का गठन किया गया।

कार्यालय उपवन संरक्षक धौलपुर के द्वारा पत्र क्रमांक 7480 दिनांक 03.08.2018 (प्रति संलग्न) के द्वारा खसरा नं० 502/25, 503/25, 504/25, 505/25, 506/25, 507/25, 508/25, 509/25 एवं 510/25 के निर्धारित क्षेत्र से बाहर कार्य नहीं किये जाने की शर्त पर अनापत्ति प्रमाण पत्र खनिज अभियंता खान एवं भू-विज्ञान विभाग, धौलपुर को जारी किया गया।

खान एवं भू-विज्ञान विभाग, धौलपुर द्वारा मैसर्स जी.आर. इन्फ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड (जबकि मिट्टी दोहन के कार्य के लिए एनजीटी ओरिजनल एप्लीकेशन संख्या 09/2020 (सीजैड) में मैसर्स पाम कस्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स का नाम अंकित है।) के पक्ष में खसरा नं० 503/25 के रकवा 3 बीघा 4 विस्वा ग्राम मालीपुरा तहसील व जिला धौलपुर के पक्ष में पत्र क्रमांक 243 दिनांक 12.11.2018, खसरा नं० 502/25 के रकवा 4 बीघा 5 विस्वा ग्राम मालीपुरा तहसील व जिला धौलपुर के पक्ष में पत्र क्रमांक 239 दिनांक 12.11.2018 एवं खसरा नं० 509/25 के रकवा 3 बीघा 4 विस्वा ग्राम मालीपुरा तहसील व जिला धौलपुर के पक्ष में पत्र क्रमांक 216 दिनांक 04.10.2018 के द्वारा मिट्टी उठाने के लिए अल्पावधि अनुमति जारी की गई। (प्रति संलग्न)

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल में जांच करने पर पाया गया कि उक्त फर्म को मण्डल द्वारा अल्पावधि अनुमति के संदर्भ में किसी प्रकार की स्थापना एवं संचालन सम्मति जारी नहीं की गई।

कार्यालय उपवन संरक्षक, धौलपुर द्वारा खनिज अभियंता खान एवं भू-विज्ञान विभाग, धौलपुर को जारी एनओसी दिनांक 03.08.2018 को पत्र क्रमांक 2732 दिनांक 30.04.2019 के द्वारा निरस्त कर दिया गया। (प्रति संलग्न)। इसी क्रम में खनिज अभियंता खान एवं भू-विज्ञान

विभाग, धौलपुर के द्वारा पूर्व में मैसर्स जी.आर. इन्फ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड के पक्ष में जारी किये गये अल्पावधि अनुमति को पत्र क्रमांक 374 से 378 दिनांक 01.05.2019 के द्वारा निरस्त कर दिया गया।

माननीय न्यायालय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, के आदेश दिनांक 13.07.2020 के क्रम में अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 16.09.2020 ग्राम मालीपुरा, तहसील व जिला धौलपुर के खसरा 502/25, 503/25, 504/25, 505/25, 506/25, 507/25, 508/25, 509/25 एवं 510/25 का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त फर्म को जारी अल्पावधि अनुमति के अन्तर्गत खसरा नं० 502/25, 503/25 एवं 509/25 में मिट्टी उठाने का कार्य किया गया एवं उसके साथ ही खसरा नं० 503/25, जिसका कुछ हिस्सा वन विभाग की परिधि में आता है, में भी मिट्टी उठाने का कार्य पाया गया।

निरीक्षण के आधार पर जांच दल का यह मत है कि वन विभाग के क्षेत्र में उठाई गई मिट्टी का असेसमेंट करने के उपरांत उक्त फर्म पर मिट्टी के अवैध दोहन के लिए Environment Compensation लगाया जाना उचित रहेगा।

श्रीमान् जी की सेवा में तथ्यात्मक रिपोर्ट सादर प्रस्तुत है।

एम.ई.

खनिज विभाग
धौलपुर

Raj Kumar
20/11/2020

राजकुमार मीणा, सहा. पर्या. अभि.
राज० राज्य प्रदूषण मण्डल
नरतपुर

20/11/2020
कैलाश चन्द मीणा
उप वन संरक्षक
धौलपुर

संजयस्थान सरकार
वन विभाग

कार्यालय उप वन संरक्षक धौलपुर

(New Chapter Start Number: 9413 PM & FAX-05642-270769 (OFF) 220889 (Res.) 2468-9414503458) (मार्गदर्शिका: सिप/33/25/अनुसूचित क्षेत्र)

क्रमांक एफ () सर्वे/उ व स/2017-18/ 7480
निमित्त

दिनांक 3/8/18

खनि0 अभियंता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
धौलपुर।

विषय- अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन ओ सी) जारी करने बाबत।
संदर्भ- खनि0 अभियंता खान एवं भू-विज्ञान विभाग धौलपुर का पत्रांक 154 दिनांक 27.07.2018 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र द्वारा चाही गई एनओसी एवं आधार मोका मुआयना सर्वे कार्य एवं पंचनामा के जारी की जाती है। एनओसी0 दिये जाने के साथ ही ये निर्देश भी प्रदान किये जाते है कि खसरा नम्बर 502/25, 503/25, 504/25, 505/25, 506/25, 507/25, 508/25, 509/25 और 510/25 के निर्धारित क्षेत्र से बाहर कार्य नहीं किया जावे। अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

उप वन संरक्षक
धौलपुर

STP(PWD)
त
03/8/18

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, धौलपुर (राज०)

रकबांक - खस/धौल/एस.टी.पी.नि.वि./2018-19/253

दिनांक - 12/11/18

कार्यालय -आदेश

M/S GR INFRAPROJECTS LTD GR House, Hiran Magri, Sector-II, Udaipur (Raj.) को उनके पक्ष में Railvikas Limited of India के कार्य आदेश क्रमांक GRIL/DHAN/2018-19/03 दिनांक 15.05.18 से निर्माण कार्य Packages-II construction of Roadbad, Major (Except Important And Major Steel Girder) & Minor Bridges, Track Linking (Excluding Supply of Rails And Main Line PSC Sleepers), Civil Engineering Works, S&T Works, OHE, TSS & General Electrical Works in connection With Third LINE Between (Km1289/0) DHOLPUR (Excluding) and (Km1202/0) ANTRI STATION (Including) on JHANSI Division of NORTH CENTRAL Railway in the state of MADHYA & Rajasthan, INDIA: Reg Earth Work from Dholpur (Ch.1289) to Hetampur (Ch.1277) का कार्य राशि रुपये 2,63,50,000/- दिनांक 15.05.2018 से आवंटित किया गया है। आप द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दि० 12.09.18 के साथ जी शिड्यूल की प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि आवंटित कार्यदेश के लिए खनिज साधारण मिट्टी मात्रा 25000 टन की अनुमति चाहिए है, उक्त साधारण प्रार्थना पत्र नय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वर्णित खसरा नं० 503/25 रकबा 3 बीघा 04 विस्वा ग्राम मालीपुर तह० व जिला धौलपुर किस्म निजी भूमि दर्ज है।

आवेदक को द्वारा आवंटित आरजी खसरा नं० 503/25 रकबा 3 बीघा 04 विस्वा ग्राम मालीपुर तह० व जिला धौलपुर की मौका रिपोर्ट दिनांक 8.10.18 में बताया कि उक्त आरजी खसरा में खनिज साधारण मिट्टी मात्रा 14293 टन उपलब्ध है तथा सार्वजनिक स्थल मन्दिर, मस्जिद सड़क व आबादी से दूर है अतः मिट्टी की एस.टी.पी. दिया जाना उचित मानते हुए पुष्टि की है।

अतः MMCR 2017 के नियम 51 एवं 74 के तहत 2 मीटर मिट्टी की मात्रा 14293 टन की रायल्टी @ 4/- प्रति टन से राशि रु० 57,172/- चालान दिनांक 12.10.18, अनुमति शुल्क राशि रु० 7200/- चालान दिनांक 12.10.18, टी.सी.एस. की राशि रुपये 1288/- चालान दि० 12.10.18 एवं डी.एम.एफ.टी. डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउन्डेशन ट्रस्ट रायल्टी राशि का 10% राशि रुपये 5718/- चालान दिनांक 12.10.18को जमा कर कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

संवेदक द्वारा कार्यालय से जारी मंशा पत्र क्रमांक 221 दिनांक 11.10.18 की सम्पूर्ण पालना करने के पश्चात् खसरा नं० 503/25 रकबा 3 बीघा 04 विस्वा ग्राम मालीपुर तह० व जिला धौलपुर किस्म खाता निजी भूमि दर्ज है भूमि में गणना अनुसार मात्रा 14293 टन से उठाने की अनुमति राजस्थान अप्रधान खनिज रियायति नियम 51 एवं 74 के तहत 2 मीटर ग्राम मालीपुर तह० व जिला धौलपुर से साधारण मिट्टी के खनन कार्य की अनुमति जारी होने की तिथि से कार्य समाप्ती तक अथवा खनिज साधारण मिट्टी की मात्रा 14293 टन उपयोग होने जो भी पहले हो, तक उपयोग में लेने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अतः संवेदक को एतद् द्वारा निम्न शर्तों पर साधारण मिट्टी को उठाने हेतु अनुमति जारी की जाती है।

शर्तें:-

- 1 संवेदक अनुमति अनुसार खसरा नं० 502/25 रकबा 3 बीघा 04 विस्वा ग्राम मालीपुर तह० व जिला धौलपुर किस्म खाता निजी भूमि दर्ज है भूमि में गणना अनुसार मात्रा 14293 टन साधारण मिट्टी उठायेगा।
- 2 संवेदक 2.0 मीटर से अधिक गहराई से मिट्टी नहीं हटायेगा/उठायेगा।
- 3 इस अनुमति पत्र पर किसी पक्ष आपत्ति होने पर संवेदक स्वयं इसका समाधान करेगा, विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।
- 4 संवेदक मिट्टी उठाने पर किसी प्रकार की सड़क जनपथ, गृह आदि सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान नहीं पहुंचायेगा।
- 5 संवेदक राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के सुरक्षा के सभी नियमों का पालन करेगा।
- 6 यह अनुमति पत्र देय तिथि से पूर्व मिट्टी का उठाने/निर्माण संवेदक द्वारा कर लिया जाता है तो अनुमति ही समाप्त हो जायेगी।
- 7 माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की पालना सुनिश्चित की जावे।
- 8 अन्य शर्तें MMCR 2017 के नियमों के अनुरूप रहेगी।
- 9 मिट्टी उठाने का कार्य प्रस्तुत खसरा नक्शा एवं मौका रिपोर्ट अनुसार क्षेत्र में ही करेगा।

भयदीय,

(तेजपाल गुप्ता)

खनि अभियन्ता, धौलपुर

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, धौलपुर (राज०)

क्रमांक:- खज/धौल/एस.टी.पी.नि.वि./2018-19/239

दिनांक - 12/11/18

कार्यालय - आदेश

M/S GR INFRAPROJECTS LTD GR House, Hiran Magri, Sector-11, Udaipur (Raj.) को उनके पक्ष में Railvikas Limited of India के कार्य आदेश क्रमांक GRIL/DHAN/2018-19/03 दिनांक 15.05.18 से निर्माण कार्य Packages-II construction of Roadbed, Major (Except important And Major Steel Girder) & Minor Bridges, Track Linking (Excluding Supply of Rails And Main Line PSC Sleepers), Civil Engineering Works, S&T Works, OHE, TSS & General Electrical Works in connection With Third LINE Between (Km(289/0) DHOLPUR (Excluding) and (Km1202/0) ANTRI STATION (Including) on JHANSI Division of NORTH CENTRAL Railway in the state of MADHYA & Rajasthan, INDIA; Reg Earth Work from Dholpur (Ch.1289) to Hetampur (Ch.1277) का कार्य राशि रुपये 2,63,50,000/- दिनांक 15.05.2018 से आवंटित किया गया है। आप द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दि० 12.09.18 के साथ जी रिडयुल की प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि आवंटित कार्यदेश के लिए खनिज साधारण मिट्टी मात्रा 25000 टन की अनुमति चाहिए है, उक्त साधारण प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वर्णित खसरा न० 502/25 रकवा 4 बीघा 05 बिस्वा ग्राम मालीपुर तह० व जिला धौलपुर किस्म निजी भूमि दर्ज है।

आवेदक के द्वारा आवंटित आराजी खसरा न० 502/25 रकवा 4 बीघा 05 बिस्वा ग्राम मालीपुर तह० व जिला धौलपुर की मौका रिपोर्ट दिनांक 8.10.18 में बताया कि उक्त आराजी खसरा में खनिज साधारण मिट्टी मात्रा 20859 टन उपलब्ध है तथा सार्वजनिक स्थल मन्दिर, मस्जिद सड़क व आबादी से दूर है अतः मिट्टी की एस.टी.पी. दिया जाना उचित मानते हुए पुष्टि की है।

अतः MMCR 2017 के नियम 51 एवं 74 के तहत 2 मीटर मिट्टी की मात्रा 20859 टन की रायेंल्टी @ 4/- प्रति टन से राशि रू० 83,436/- चालान दिनांक 31.10.18, अनुमति शुल्क राशि रू० 10500/- चालान दिनांक 31.10.18, टी.सी.एस. की राशि रुपये 1879/- चालान दि० 31.10.18 एवं डी.एम.एफ.टी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउन्डेशन टस्ट रायेंल्टी राशि का 10% राशि रुपये 8344/- चालान दिनांक 31.10.18 को जमा कर कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

संवेदक द्वारा कार्यालय से जारी मंशा पत्र क्रमांक 220 दिनांक 11.10.18 की सम्पूर्ण पालना करने के पश्चात् खसरा न० 502/25 रकवा 4 बीघा 05 बिस्वा ग्राम मालीपुर तह० व जिला धौलपुर किस्म खाता निजी भूमि दर्ज है भूमि में गणना अनुसार मात्रा 20859 टन से उठाने की अनुमति राजस्थान अप्रधान खनिज रियायति नियम 51 एवं 74 के तहत 2 मीटर ग्राम मालीपुर तह० व जिला धौलपुर से साधारण मिट्टी के खनन कार्य की अनुमति जारी होने की तिथि से कार्य समाप्ति तक अथवा खनिज साधारण मिट्टी की मात्रा 20859 टन उपयोग होने जो भी पहले हो, तक उपयोग में लेने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अतः संवेदक को एतद् द्वारा निम्न शर्तों पर साधारण मिट्टी को उठाने हेतु अनुमति जारी की जाती है।

शर्तें:-

- 1 संवेदक अनुमति अनुसार खसरा न० 502/25 रकवा 4 बीघा 05 बिस्वा ग्राम मालीपुर तह० व जिला धौलपुर किस्म खाता निजी भूमि दर्ज है भूमि में गणना अनुसार मात्रा 20859 टन साधारण मिट्टी उठायेगा।
- 2 संवेदक 2.0 मीटर से अधिक गहराई से मिट्टी नहीं हटायेगा/उठायेगा।
- 3 इस अनुमति पत्र पर किसी पक्ष आपत्ति होने पर संवेदक स्वयं इसका समाधान करेगा, विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।
- 4 संवेदक मिट्टी उठाने पर किसी प्रकार की सड़क जनपथ, गृह आदि सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान नहीं पहुंचायेगा।
- 5 संवेदक राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के सुरक्षा के सभी नियमों का पालन करेगा।
- 6 यह अनुमति पत्र देय तिथि से पूर्व मिट्टी का उठाने/निर्माण संवेदक द्वारा कर लिया जाता है तो अनुमति ही समाप्त हो जायेगी।
- 7 माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की पालना सुनिश्चित की जाये।
- 8 अन्य शर्तें MMCR 2017 के नियमों के अनुरूप रहेगी।
- 9 मिट्टी उठाने का कार्य प्रस्तुत खसरा नक्शा एवं मौका रिपोर्ट अनुसार क्षेत्र में ही करेगा।

भवदीय

(तेजपाल गुप्ता)

खनि अभियन्ता, धौलपुर

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, धौलपुर (राज०)

क्रमांक - खअ/धौल/एस.टी.पी.नि.वि/2018-19/ 216

दिनांक - 4/10/18

कार्यालय -आदेश

M/S GR INFRAPROJECTS LTD GR House, Hiran Magri, Sector-11, Udaipur (Ra.) को उनके पक्ष में Railvikas Limited of India के कार्य आदेश क्रमांक GRIL/DHAN/2018-19/03 दिनांक 15.05.18 से निर्माण कार्य Packages-II construction of Roadbed, Major (Except Important And Major Steel Girder) & Minor Bridges, Track Linking (Excluding Supply of Rails And Main Line PSC Sleepers), Civil Engineering Works, S&T Works, OHE, TSS & General Electrical Works in connection With Third LINE Between (Km1289/0) DHOLPUR (Excluding) and (Km1202/0) ANTRI STATION (Including) on JHANSI Division of NORTH CENTRAL Railway in the state of MADHYA & Rajasthan, INDIA: Reg Earth Work from Dholpur (Ch.1289) to Hetampur (Ch.1277) का कार्य राशि रुपये 2,63,50,000/- दिनांक 15.05.2018 से आवंटित किया गया है। आप द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दि० 16.08.18 के साथ जी रिज्युल की प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि आवंटित कार्यदेश के लिए खनिज साधारण मिट्टी मात्रा 100000 टन की अनुमति चाहिए है, उक्त साधारण प्रार्थना पत्र पर शब्द पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वार्षित खसरा न० 509/25 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा ग्राम मालीपुर तह० व जिला धौलपुर किसम निजी भूमि दर्ज है।

आवेदक के द्वारा आवेदित आरजी खसरा न० 509/25 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा ग्राम मालीपुर तह० व जिला धौलपुर की मौका रिपोर्ट दिनांक 05.09.18 में बताया कि उक्त आराजी खसरा में खनिज साधारण मिट्टी मात्रा 8612 टन उपलब्ध है तथा सार्वजनिक स्थल मन्दिर, मस्जिद सड़क व आवादी से दूर है अतः मिट्टी की एस.टी.पी. दिया जाना उचित मानते हुए पुष्टि की है।

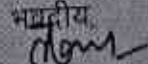
अतः MMCR 2017 के नियम 51 एवं 74 के तहत 2 मीटर मिट्टी की मात्रा 8612 टन की रॉयल्टी @ 4/- प्रति टन से राशि रु० 34,448/- चालान दिनांक 28.9.2018, अनुमति शुल्क राशि रु० 4,406/- चालान दिनांक 28.09.2018, टी.सी.एस. की राशि रुपये 778/- चालान दि० 28.09.2018 एवं डी.एम.एफ.टी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट रायल्टी राशि का 10% राशि रूपया 3,445/- चालान दिनांक 28.09.2018को जमा कर कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

संवेदक द्वारा कार्यालय से जारी भंशा पत्र क्रमांक 187 दिनांक 12.09.2018 की सम्पूर्ण पालना करने के पश्चात् खसरा न० 509/25 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा ग्राम मालीपुर तह० व जिला धौलपुर किसम खाता निजी भूमि दर्ज है भूमि में गणना अनुसार मात्रा 8612 टन से उठाने की अनुमति राजस्थान अप्रधान खनिज रियायति नियम 51 एवं 74 के तहत 2 मीटर ग्राम अरुआ तह० बाड़ी जिला धौलपुर से साधारण मिट्टी के खनन कार्य की अनुमति जारी होने की तिथि से कार्य समाप्ती तक अथवा खनिज साधारण मिट्टी की मात्रा 8612 टन उपयोग होने जो भी पहले हो, तक उपयोग में लेने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अतः संवेदक को एतद् द्वारा निम्न शर्तों पर साधारण मिट्टी को उठाने हेतु अनुमति जारी की जाती है।

शर्तें:-

1. संवेदक अनुमति अनुसार खसरा न० 509/25 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा ग्राम मालीपुर तह० व जिला धौलपुर किसम खाता निजी भूमि दर्ज है भूमि में गणना अनुसार मात्रा 8612 टन साधारण मिट्टी उठायेगा।
2. संवेदक 2.0 मीटर से अधिक गहराई से मिट्टी नहीं हटायेगा/उठायेगा।
3. इस अनुमति पत्र पर किसी पक्ष आपत्ति होने पर संवेदक स्वयं इसका समाधान करेगा, विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।
4. संवेदक मिट्टी उठाने पर किसी प्रकार की सड़क जनपथ, गृह आदि सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान नहीं पहुंचायेगा।
5. संवेदक राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के सुरक्षा के सभी नियमों का पालन करेगा।
6. यह अनुमति पत्र देय तिथि से पूर्व मिट्टी का उठाने/निर्माण संवेदक द्वारा कर लिया जाता है तो अनुमति ही समाप्त हो जायेगी।
7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की पालना सुनिश्चित की जावे।
8. अन्य शर्तें MMCR 2017 के नियमों के अनुरूप रहेगी।
9. मिट्टी उठाने का कार्य प्रस्तुत खसरा नक्शा एवं मौका रिपोर्ट अनुसार क्षेत्र में ही करेगा।

भारतीय

 (तेजपाल गुप्ता)
 खनि अभियन्ता, धौलपुर

राजस्थान सरकार
वन विभाग

कार्यालय उप वन संरक्षक धौलपुर

(Near Chopra Shiv Mandir, NH-3 PH. & FAX-05642-220769 (Off.) 220807 (Res.) Mob-9414505258 Email-dof.dhol@rajasthan.gov.in)

क्रमांक एफ () सर्वे/उ व सं/2019/2732

दिनांक 30/8/19

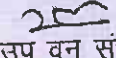
निमित्त,

खनि० अभियंता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
धौलपुर।

विषय :- अनापत्ति प्रमाण पत्र एन०ओ०सी० जारी करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय द्वारा पत्र क्रमांक 7480 दिनांक 03.08.2018 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है।


उप वन संरक्षक
धौलपुर
दिनांक

क्रमांक एफ () सर्वे/उ व सं/2019/

प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय वन अधिकारी धौलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

उप वन संरक्षक
धौलपुर

STP(RwD)
30/8/19

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, धौलपुर (राज०)

क्रमांक:- खअ/धौल/एस.टी.पी.नि.वि./2019-20/

दिनांक

M/S GR INFRAPROJECTS LTD
GR House, Hiran Magri, Sector-II,
Udaipur (Raj.)

विषय:- अल्पावधि अनुमति निरस्त करने बाबत।

प्रसंग:- इस कार्यालय का आदेश क्रमांक 239 दिनांक 12.11.18, 216 दिनांक 4.10.18 एवं 243 दिनांक 12.11.18 तथा वन विभाग धौलपुर का पत्रांक 327 दिनांक 18.4.19, 2672 दिनांक 25.04.19 तथा 2732 दिनांक 30.04.19 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों के क्रम में लेख है कि वन विभाग धौलपुर की अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर कार्यदेश सं० 7480 दिनांक 3.08.18 के अन्तर्गत अराजी खसरा नम्बरान 503/25.509/25.502/25 से इस कार्यालय की अनुमति क्रमांक 239 दिनांक 12.11.18, 216 दिनांक 4.10.18 एवं 243 दिनांक 12.11.18 के द्वारा साधारण मिट्टी उठाने की नियमानुसार अनुमति प्रदान की थी।

किन्तु वन विभाग धौलपुर के पत्रांक 327 दिनांक 18.4.19, 2672 दिनांक 25.04.19 तथा 2732 दिनांक 30.04.19 के द्वारा इस कार्यालय को अवगत कराया है कि उक्त खसरा नम्बर वन क्षेत्र में आते हैं। तथा वन विभाग धौलपुर द्वारा पूर्व में जारी की गई अनापत्ति प्रमाण पत्र को तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। अतः वन विभाग की रिपोर्ट के आधार पर आपको पूर्व में जारी की अल्पावधि अनुमति क्रमांक 239 दिनांक 12.11.18, 216 दिनांक 4.10.18 एवं 243 दिनांक 12.11.18 को तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है अतः आप उक्त खसरा नम्बरों से साधारण मिट्टी का उत्खनन नहीं करें अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

भवदीय,

(तेजपालगुप्ता)

खनि अभियन्ता, धौलपुर

दिनांक :- 11/5/19

क्रमांक:- खअ/धौल/एस.टी.पी.नि.वि./2019-20/374-378

प्रतिलिपि निम्न को वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 मुख्य परियोजना प्रबन्धक रेल विकास निगम लिमिटेड, बंगला नं० ए-1, रेलवे ऑफीसर्स कॉलोनी झॉसी (उ०प्र०) 284003 को भेजकर सूचनार्थ प्रेषित है।
- 2 खनि कार्यदेशक प्रथम/द्वितीय कार्यालय हाजा सूचनार्थ प्रेषित है।
- 3 उपवन संरक्षक आपके पत्र क्रमांक 2732 दिनांक 30.04.19 की पालना में सूचनार्थ प्रेषित है।
- 4 तहसीलदार धौलपुर को लेख है कि हल्का पटवारी मालीपुरा को सूचनार्थ प्रेषित है।

खनि अभियन्ता, धौलपुर

e/c